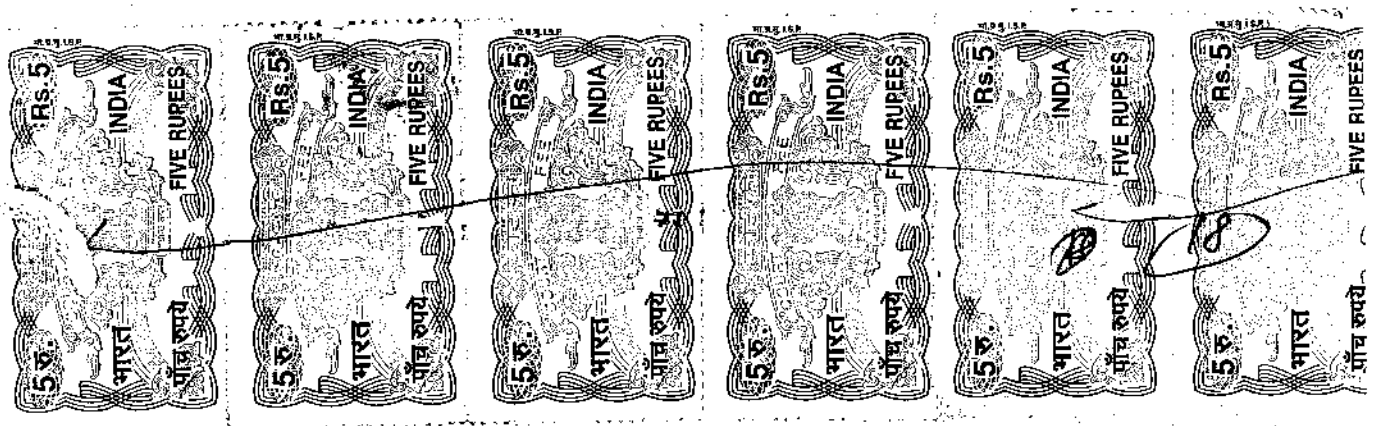

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक-   /2016/पुर्नाविलोकन

निश्चल राय पुत्र श्री शीतल प्रसाद, आयु-45वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-वायपास रोड़, परासिया तहसील परासिया, जिला छिन्दवाडा (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला छिन्दवाडा (म0प्र0)

----अनावेदक

पुर्नाविलोकन आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.12.2015 पारित न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक-437/I/15 विविध (अनुमति)

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुर्नाविलोकन आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1- यहकि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-2/7 के मिन रकवा 0.030 हैक्टेयर आवेदक द्वारा दिनांक 09.03.2011 को क्रय किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 9019–एक/16 जिला –छिन्दबाडा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.03.2016	आवेदक की ओर से श्री एस0 एल0 धाकड उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनावेदक शासन के के पैनल अधिवक्ता उपस्थित। यह रिव्यु आवेदन– पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन (शासन द्वारा रिव्यु परमीश्न) प्रकरण कमांक 437–एक/15 आदेश दिनांक 4.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 9019–एक/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनविलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन 437–एक/2015 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 4.12.2015 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0 क0 9019–एक/2016 म0प्र0 भू–राजस्व	

रिव्यु. 9019. I/16 (छिंदवाड़ा)

संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पष्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे ।

सदस्य

Notice
3/3/16